रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 8, 1970/आश्विन 16, 1892

No. 367] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 1970/ASVINA 16, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P. & T. Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October 1970

S.O. 3316.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director-General, Posts and Telegraphs hereby specifies the 26th October, 1970 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Anakapalle Telephone Exchange, Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-65/70-PHB.]

N. V. SHENOI,
Senior Member (Telecom. Operations).

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर 1970

एस० ओ० 3316.—स्थायी आदेश क्रमसंख्या 627 दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गए 1951 के भारतीय तार नियमों के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक के अनकापल्ली टेलीफोन केन्द्र, आंध्र सर्कल में ता० 26-10-1970 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[सं० 5-65/70-पी० एण्ड० बी०.]

एन० बी० शेणाय,
वरिष्ठ सदस्य (दूरसंचार प्रचालन) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1970